



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012022-232309
CG-DL-E-01012022-232309

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5058]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 2021/पौष 9, 1943

No. 5058]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 2021/PAUSHA 9, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5464(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के सीहोर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 146B के कि.मी. 0+000 से 47+400 कि.मी. तक - (नसरुल्लागंज-रेहटी से बुदनी-रोड) (नसरुल्लागंज-संसोधित) का निर्माण (चौड़ीकरण/चार-लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, नसरुल्लागंज, जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों

की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के जिले सीहोर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 146B के कि.मी. 0+000 से 47+400 कि.मी. तक (नसरुल्लागंज-रेहटी से बुदनी रोड) (नसरुल्लागंज-संसोधित) के निर्माण के लिए भू खण्ड अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम : मध्य प्रदेश		जिले का नाम : सीहोर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: नसरुल्लागंज					
गांव का नाम: चांदाग्रहण					
1	173/2/1	निजी	सिंचित	0.1500000(हेक्टेयर)	0.1500000
2	213-160	निजी	सिंचित	0.2150000(हेक्टेयर)	0.2150000
3	229/160	निजी	सिंचित	0.4860000(हेक्टेयर)	0.4860000
4	39-40-45/2	निजी	सिंचित	2.0810000(हेक्टेयर)	2.0810000
गांव का नाम: नंदगांव					
1	170	निजी	सिंचित	0.0230000(हेक्टेयर)	0.0230000
2	173-176-177/1	निजी	सिंचित	0.5120000(हेक्टेयर)	0.5120000
3	174/2-175-259/175	निजी	सिंचित	0.6720000(हेक्टेयर)	0.6720000
4	180/2/1	निजी	सिंचित	0.0880000(हेक्टेयर)	0.0880000
कुल				4.2270	4.2270

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/34/2018-19/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2021

S.O. 5464(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule

below, is required for building(widening/2 laning with paved shoulder), maintenance, management and operation of National Highway No. 146B in the stretch of land from Km. 0+000 to 47+400 Km. (Nasrullaganj-Rehti to Budhni Road) (Nasrullaganj-Corrigendam) in the district of Sehore in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Sub Divisional Officer (Revenue) and land Acquisition Officer Nasrullaganj, District Sehore, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 0+000 to 47+400 Km. (Nasrullaganj-Rehti to Budhni Road) (Nasrullaganj Corrigendam) National Highway No. 146B in the district of Sehore in the State of MADHYA PRADESH.

State : MADHYA PRADESH			District : SEHORE		
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Nasrullaganj					
Village: Chanda Grahan					
1	173/2/1	Private	Irrigated	0.1500000(Hectare)	0.1500000
2	213-160	Private	Irrigated	0.2150000(Hectare)	0.2150000
3	229/160	Private	Irrigated	0.4860000(Hectare)	0.4860000
4	39-40-45/2	Private	Irrigated	2.0810000(Hectare)	2.0810000
Village: Nandgaon					
1	170	Private	Irrigated	0.0230000(Hectare)	0.0230000
2	173-176-177/1	Private	Irrigated	0.5120000(Hectare)	0.5120000
3	174/2-175-259/175	Private	Irrigated	0.6720000(Hectare)	0.6720000
4	180/2/1	Private	irrigated	0.0880000(Hectare)	0.0880000
Total				4.2270	4.2270

[F. No. CE-RO BPL/30010/34/2018-19/3A]
RAJESH GUPTA, Director